"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 129] रायपुर, बुधवार, दिनांक 19 मार्च 2014— फाल्गुन 28, शक 1935

गृह विभाग (सी-अनुभाग)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-45/गृह-सी/2014. — राज्य शासन एतद्द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-28 (ए) में दिये गये प्रावधान तथा भारत निर्वाचन आयोग के परिपत्र क्रमांक 4/93/J. S. II, दिनांक 06 जनवरी, 1993 में दिये गये निर्देश अनुसार लोकसभा आम चुनाव 2014 हेतु पदाभिहीत समस्त पुलिस अधिकारी, ऐसे निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना दिनांक 15 मार्च, 2014 से प्रारंभ होकर ऐसे निर्वाचन के परिणामों के घोषित किये जाने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जायेंगे और तद्नुसार ऐसे पुलिस अधिकारी उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, ओएसडी/ सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2014

क्रमांक एफ-4-45/गृह-सी/2014. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 14-03-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, ओएसडी/ सचिव.

Naya Raipur, the 14th March 2014

NOTIFICATION

No. F-4-45/Home-c/2014. — In pursuance of the provision of Section 28-A of the Representation of the People Act, 1951 and in view of the directions contained in the Election Commission of India's letter No. 4/93/J. S. II, dated 06th January 1993, all Police Officers designated by the State Government for the conduct of the General Elections 2014 shall be deemed to be on deputation to the Election Commission for the period commencing on and from 15th March 2014, the date of notification of calling for such election and ending with the date of declaration of the result of such election and such Police Officers shall be subject to control, superintendence and discipline of the Election Commission.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ASHOK JUNEJA, OSD/ Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.